नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(सामान्य प्रशासन विभाग)

संकल्प संख्या –.......343......../
N-1/
दिनांक ....01-04-2015..../

श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद, तदेन कनीय विद्युत अभियंता सम्प्रति सहायक विद्युत अभिंयता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, झंझारपुर जब कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, कटिहार में पदस्थापित थे तो उनके विरूद्ध बोर्ड के नियमों की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता एवं कार्य में लापरवाही बरतने से संबंधित निम्न आरोपों के लिए संकल्प संख्या 1110 दिनांक 10.09.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें जाँच पदाधिकारी के रूप में श्री जेड0 एच0 परवेज, विद्युत अधीक्षण अभियंता (भंडार एव क्रय), को नियुक्त किया गयाः–

आरोप संख्या 01:– विद्युत कार्यपालक अभियंता, कटिहार द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में प्रतिदिन राजस्व समाहरण की राशि पुलिस फोर्स की व्यवस्था होने के बाद ही बैंक में राशि जमा करायी जाती थी । घटना की तिथि को श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद, रामनाथ साहु, रोकड़पाल के साथ बिना पुलिस/ सुरक्षा के समाहरण की राशि को 12 बजे दिन में बैंक में जमा करने हेतु कहा गया। बैंक में कैश 3–4 बजे दिन तक जमा होता है, फिर भी उनके द्वारा पुलिस फोर्स के बिना ही 12 बजे दिन में कैश जमा करने की जल्दबाजी की गई।

(02):–घटना के समय पर मात्र श्री केदार नाथ प्रसाद, खलासी बैठे थे। अन्य दिनों बैंक जाते समय 4–5 कर्मचारियों को बैठाकर ले जाया जाता था।

(03):–घटना की तिथि को सहायक विद्युत अभियंता कार्य पर उपस्थित थे एवं उनका आवास कार्यालय परिसर में ही स्थित था, अतएवं श्री प्रसाद को सहायक विद्युत अभियंता से कैश जमा करने हेतु अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी ।

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन दिनांक 30.10. 2012 को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन, अभिलेख पर उपलब्ध अन्य तथ्य एवं कागजातों की सम्यक समीक्षा की गई एवं आरोप पत्र में अंकित आरोपों में से आरोप सं0 01 के प्रमाणित होने का आधार अंकित करते हुए संकल्प संख्या 920, दिनांक 08.08.2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया। श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 16.08.2013 को द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्री प्रसाद, द्वारा समर्पित जवाब की समीक्षा की गई एवं सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री प्रसाद खुद को उक्त आरोप के संबंध में निर्दोष बताकर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल में समाहरित राशि को जमा कराने की जवाबदेही एवं उनके कार्य (Duty) में नहीं था बताया गया। उल्लेखनीय है कि जाँच पदाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट उधृत किया गया है कि आरोपित बैंक में कैश जमा कराने जाया करते थे एवं घटना के दिन सुरक्षा इंतजाम की अनदेखी किया गया जिससे उक्त घटना को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया । लुटेरों का प्रतिरोध नहीं करना, लुटेरों की मोटर साईकिल का नंबर नोट नहीं किया जा सकना, आरोपित के जिम्मेवारियों की अनदेखी को दर्शाता है। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः सम्पूर्ण मामले के सम्यक समीक्षोपरांत श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद ,तदेन कनीय विद्युत अभियंता, सम्प्रति सहायक विद्युत अभिंयता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, झंझारपुर को एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड देने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार श्री प्रसाद का एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प की हस्ताक्षरित प्रति श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद तदेन कनीय विद्युत अभियंता सम्प्रति सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, झंझारपुर को अग्रसारित की जाय।

आदेश से,

1-4-15

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0सं0एवं प्रशा0)

ज्ञाप संख्या — 344 —— / ना0बि0पा0डि0कं0लि0, दिनांक — 01-04-2015 /

प्रतिलिपिः— अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी / तकनीकी सचिव / अवर सचिव / निदेशक (प्रशासन) के वरीय निजी सहायक / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, के वरीय निजी सहायक / प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट पावर ट्रान्समीशन कम्पनी लिमिटेड, के आप्त सचिव / प्रबंध निदेश के नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

1-4-15

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0सं0एवं प्रशा0)

ज्ञाप संख्या ——344—— / ना0बि0पा0डि0कं0लि0, दिनांक ——01-04-2015 /

प्रतिलिपिः—निदेशक (परियोजना) / सभी महाप्रबंधक(मा0सं0प्रशा0) / सभी मुख्य अभियंता / सभी उप महाप्रबंधक—सह—विद्युत अधीक्षण अभियंता / सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता / महाप्रबंधक (राजस्व) / सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता / विद्युत कार्यपालक अभियंता (आई0टी0) / वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) उप महाप्रबंधक (जनसर्म्पक) / सभी लेखा पदाधिकारी / लेखा पदाधिकारी (स्थापना) नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना / श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद तदेन कनीय विद्युत अभियंता सम्प्रति सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0सं0एवं प्रशा0)

ज्ञाप संख्या ——344—— / ना0बि0पा0डि0कं0लि0, दिनांक ——01-04-2015 /

प्रतिलिपिः— श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद तदेन कनीय विद्युत अभियंता सम्प्रति सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, झंझारपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0सं0एवं प्रशा0)